"सत्यमेव जयते"

THE BAR ASSOCIATION JAIPUR

(Reg. No. 79 of 1957-58)

CONSTITUTION, LIBRARY-RULES, ELECTION-RULES AND WELFARE-FUND

Published By:

THE BAR ASSOCIATION JAIPUR

Civil Court Building, Bani Park, JAIPUR

Phone : 0141-5115250

MEMORANDUAM OF ASSOCIATION
OF
THE BAR ASSOCIATION, JAIPUR

(Passed by the General meeting of the Bar Association, Jaipur held on 28-2-56 and Conformed by General meeting Dated 9-6-56 Amending the earlier Rules Passed on 18-12-32)

NAME :

1. The name of the Association shall be **"THE BAR ASSOCIATION, JAIPUR"**

OFFICE :

2. Its office shall be located at Jaipur City.

AIMS & OBJECTS :

3 The aims and objects of the Association shall be :-

(i) To promote unity and create fellow- feeling amongst the members of the legal profession.

(ii) To maintain a high standard of ethics, honour and dignity of the legal profession.

(iii) To consider matters affecting the interests of legal practitioners and litigant public and to uphold and safeguard their interests;

(iv) To watch and represent its views on all present and proposed legislation of the State of Rajasthan and the Union of India and to arrange discourses, lectures and debates thereon;

(v) To provide legal assistance to the Public and to promote legal aid society for helping those who cannot afford to pay for such legal aid, either wholly of party;

(vi) To take such steps as may be necessary to safeguard and to protect the Civil Liberties of the people;

(vii) To maintain a suitable library and to provide facilities for the advancement of Legal knowledge;

(viii) To associate itself with any work of humanitarian character and research;

(ix) To take such measures which tend to promote generally the welfare of the BAR;

(x) To publish judgements and legal journals etc;

(xi) To affiliate and get affiliated with any other Association of Associations connected with the Legal Profession.

BYE- LAWS
OF
THE BAR ASSOCIATION, JAIPUR

NAME :

1. The name of the Association shall be the "THE BAR ASSOCIATION, JAIPUR."

OFFICE :

2. Its office shall be located at Jaipur City.

MEMBERSHIP

Membership of Association :

3. The following are eligible for membership of the Association : An Advocate of the High Court of Rajasthan

or

An Advocate of the Supreme Court or of any other High Court in India.

or

A Pleader enrolled in the State of Rajasthan under the Legal practitioners' Act.

or

Any person being a graduate and actually practising in the Revenue Courts of Income Tax or Sales Tax Offices in Rajasthan.

Enrolment :

4. An application for membership shall be submitted in the prescribed form together with an admission fee of Rs. 100/-. The decision of the Executive Committee on it shall be final. The Executive Committee shall have the power to reject an application without assigning any reasons.

In case of rejection of the application, the admission fee shall be refunded to the applicant.

Classes of Members :

5. There shall be the following classes of members of the Association:

(1) Ordinary (2) Non-resident, (3) Life members

Ordinary Members :

6. Every ordinary member of the Association shall pay in advance a total monthly subscription of Rs. 10/-* to the Association out of which Rs. 6/-* as Library and Rs. 4/-* as Association membership fee will be proportionately adjusted.

Non-resident Members :

7. Every Non-resident member of the Association shall pay in advance an annual subscription of Rs. 12/-, payable in the 1st week of January every year, provided that a member seeking admission after the first day of July shall be charged Rs. 6/- only for that year.

A person whose permanent place of business is outside Jaipur may be enrolled as a Non-Resident member.

Any member who joins service or leaves the profession or shifts his place of business from Jaipur may be continued as a Non-resident member.

A Non-resident member shall not be entitled to stand as a candidate for any election of the Association or to vote at any such election.

Life Member :

8. An Ordinary or Non-resident member of the Association can become a life member on payment of a Lump Sum of Rs. 1000/-* such a member shall be exempted from payment of a monthly or annual subscription of association.

Cessation of Membership :

9. A member of the Association shall cease to be so if,

(a) he expires, or

(b) he resigns from membership and his resignation is accepted by the Executive Committee.

(c) His monthly subscription if falls due for more then 3 year, his membership shall automatically stand terminated without notice.

(d) a general meeting of the members of the Association or the recommendation of the Executive Committee, passes a vote of censure by four-fifth majority of the members present in the meeting, provided that such meeting is attended by not less than one half of the total number of members excluding the Non-resident members.

Official Year:

10. The official year of the Association shall be form 1st Janurary to 31st December every year.

MANAGEMENT AND CONTROL

Executive Committee :

11. (a) There shall be an Executive Committee of the Association for the management and control of its affairs;

(b) The Executive Committee shall consist of the following:-

(1) One President
(2) Two Vice Presidents,
(3) One General Secretary,
(4) One Joint-Secretary,
(5) One Library Secretary,
(6) One Social Secretary,
(7) One Joint Treasurer and 12 elected members.

(c) The office- bearers and members of the Executive Committee shall be elected every year at the annual general meeting of the Association which will be held for this purpose ordinarily in the month of January every year.

Vacancy in the Executive Committee :

12. In case of any vacancy arising in any manner among the members of the Executive Committee or the office bearers during the year, it shall be competent for the remaining members of the executive Committee to co-opt any member of the Association in the Executive Committee till the next elections or elect one of its members to be such office-bearer for the remaining period, provided that in the event of the officers of the President, or the General Secretary falling vacant, the Vice-President, who is senior in practice in point of time, and the Joint Secretary respectively shall automatically act as President and General Secretary upto the next elections.

13. Any member of the Executive Committee, who absents himself from three consecutive meeting of the Committee, without assigning sufficient cause, may be removed from its membership by a resolution of the Executive Committee in this behalf.

14. In case an office bearer or member of the Executive Committee resigns or ceases to be a member of the Association or a motion of no-confidence is passed against him or incurs the disqualification referred to in Art. 13 above, he shall cease to hold his office or remain a member or the Executive Committee. The resignation shall be effective from the date of its acceptance by the Executive Committee.

No confidence Motion :

15. The Executive Committee shall cease to be in office on a vote of no-confidence being passed against it in a General meeting of the Association specially called for that purpose, provided such resolution is passed by majority of the total members on roll excluding the non-resident members.

In case such a resolution is passed, the same general meeting shall elect an Ad-hoc Committee of Five Members to carry on the business of the Association till the new Executive Committee is elected and such election shall be held not later than eight weeks from the appointment of the Ad-hoc Committee.

Any member of the Executive Committee or any office-bearer shall like wise cease to hold office if a vote of No-confidence is passed against him in the same manner.

16. (i) The Executive Committee shall ordinarily meet once a month for which two clear days' notice shall be necessary. An extraordinary meeting or the Executive Committee may, however, be called even at a shorter notice, by the President or the General Secretary whenever necessary or on a written requisition by at-least three members there of.

(ii) The President of the General Secretary may, whenever they deem necessary, circulate any proposal or resolution among the members of the Executive Committee and in case a majority of the members of the Committee agree to such proposal or resolution, it shall be considered to have been passed by circulation and shall be recorded in the minutes.

Powers of Executive Committee :

17. The Executive Committee shall exercise the powers and perform the functions mentioned below:

(a) generally manage and control the affairs of the association.

(b) be responsible for conducting the affairs of the Association according to the byelaws, rules and regulations of the association,

(c) grant and sanction expenditure in case of emergency over and above the budgeted amount to the extent or Rs. 500/-.

(d) entertain and approve or reject applications for membership of the association, as it may deem proper.

(e) here appeals against the orders of the General Secretary taking any disciplinary action against or dismissing a servant or employee of the Association and pass such orders as if may consider proper,

(f) confirm the appointment of any servant or employee made by the General Secretary,

(g) help and guide the General Secretary in the discharge of his duties,

(h) form sub committee or sub-committees for any investigation, enquiry, report or work,

(i) recommend to the Association the removal of any member from its membership, whenever-

(1) It appears that the continuance of any person as a member of the Association is detrimental to its interest, or

(2) for any other reason affecting the honour and dignity of the profession or the association, if it is deemed expedient so to do, provided always that the member concerned has been given an opportunity of giving an explanation.

(j) make rules and regulations for the use of library and reading room and for the management and proper use of the building, furniture etc. of the Association generally.

(k) in the event of vacancy occurring during the year elect office-bearers and members of Executive Committee for the remaining period of the year, subject to the provisions of Art. 12.

(l) to arrange and orgainise social and other functions and activities,

(m) take such other steps as may be necessary for the realization of the aims and objects of the association.

The President :

18. (a) The President shall be the head of the Association and shall preside over the ordinary extra-ordinary or requisitioned meeting of the Executive Committee or of the Association and shall control and regulate the business of the Association and its meetings;

(b) The president shall have power to sanction any expenditure, within the budget, for a sum bot exceeding Rs. 50/- for non-recurring expenses, without previous approval of the Executive Committee.

Vice-President

19. In the absence of the President, the Vice-President, Senior in Practice in point of time, and in the absence of both, the other Vice-President, will exercise the powers, perform the duties and carry out the functions of the president.

General Secretary

20. The General Secretary shall be the Chief Executive Officer of the association. He shall be responsible for the proper and systematic working of the Association and in particular shall:

(a) issue due notice for calling ordinary, Extra-ordinary and requisitioned meeting of the Executive Committee or of the association.

(b) carry on the correspondence and maintain the office of the association;

(c) draw up and record full and accurate minutes of the proceedings of the meetings mentioned in Clause (a) above;

(d) take all steps for carrying out the resolutions passed by the Executive Committee and the general body of the association.

(e) prepare agenda for such meetings;

(f) represent the associations in all suits and proceedings, instituted on behalf of or against the Association and to file such suits and take such proceedings in any court or law or office;

(g) spend, within the budget, a sum not exceeding Rs. 25/- for non-recurring expenses, without the previous approval of the Executive Committee;

(h) appoint or dismiss any servant or other employee of the Association or take disciplinary action against any such person, subject to confirmation by the Executive Committee, and also issue all necessary orders and directions to the staff of the associations.

Joint Secretary :

21. The Joint Secretary shall assist the General Secretary in the discharge of his duties and functions and in the absence of the General Secretary, shall perform all his duties and exercise all his powers.

Social Secretary :

22. The Social Secretary shall be responsible for making all arrangements for the social functions and activities of the association

Library Secretary :

23. The Library Secretary shall :

(i) be responsible for the proper managements and upkeep of the Library;

(ii) be responsible for collecting library dues and for taking steps to enforce payment of Library and other dues on intimation from the Treasurer:

(iii) recommend to the Executive Committee or a Sub Committee, appointed for that purpose, the books, journals, magazines and newspapers to be purchased by the association;

(iv) with the consent of the President, have the power to spend, within the budgeted amount, a sum not exceeding Rs. 25/- for non-recurring expenses, without previous sanction of the Executive Committee.

Treasurer :

24. The Treasurer shall :-

(a) collect all dues and subscriptions of the association;

(b) hold and operate the finances of the association;

(c) make payment only on order from proper authority;

(d) maintain proper and upto date accounts and submit the same every month of the association, and

(e) get the accounts audited annually before the annual general meeting of the association, and

(f) prepare and submit to the Executive Committee, before the annual general meeting, a detailed budget for the next year.

Joint Treasurer :

25. The Joint Treasurer shall assist the Treasurer in the discharge of his duties and functions and in the absence of the treasurer, shall perform all his duties and exercise all his powers.

GENERAL MEETINGS

Annual General Meetings :

26. The Annual General Meeting of the Association shall be held in the month of January to Transact the following business:

(1) to discuss the report of the pervious year;

(2) to pass the accounts of the previous year and to consider the budget proposals for the year;

(3) to appoint an auditor for the year;

(4) to elect an Executive Committee for the year;

(5) to consider any other matter with the permission of the President.

27. All matters in such meeting shall be decided by a majority of votes of the members present and voting. In the case of there being a tie, the Chairman of the meeting shall have a casting vote in addition to his own.

Notice for Annual General Meeting :

28. The Executive Committee shall fix a date for the annual General Meeting and shall notify the same not less than one month before such date. The nominations for office-bearers and members of the Executive Committee should reach the General Secretary in writing, duly proposed and seconded upto a date to be fixed by the Executive Committee for the purpose, which shall not be less than fifteen days before the date fixed for the Annual General Meeting. Every candidate shall signify his consent to his nomination either in writhing at the time of such nomination or orally by his presence at the time of the election of the office or membership, for which he may have been nominated.

Ordinary or Extra General Meeting :

29. (a) An ordinary or extra-ordinary general meeting shall be called by the General Secretary in the following cases :-

(i) on the resolution of the Executive Committee to that effect, or

(ii) on a written requisition of at least 15 members of the Association, or

(iii) whenever it is considered necessary by the President.

(b) The requisition under sub clause (ii) of clause (a) shall always specify the object of the meeting.

Notice for General Meeting;

30. A notice of at least 48 hours shall ordinarily be necessary for an extra-ordinary general meeting and in the case of an ordinary general meeting at least one week's notice shall be necessary.

QUORUM:

31. 25 members shall form the QUORUM for a general meeting. At least one-third of the members will form the quorum for any meeting of the Executive Committee and in case of a meeting of a sub-committee one half of the members shall form the quorum.

Provided that no quorum shall be necessary for an adjourned meeting.

32. All members present shall have a right to vote subject to the limitations and restrictions imposed by these bye-laws.

33. The election in all cases shall be by ballot.

Eligibility of Candidates and Voters for Elections;

34. A member who is in arrears of his subscription and/ or other dues of the Association for a period of more than one month shall not be entitled to stand as a candidate for election to any office or membership of Executive Committee, and no member who is in arrears of his subscription and/or other dues of the Association for more than three months shall be entitled to vote for election in any general meeting.

Provided that for the purpose of elections for the year 1956, a member shall be eligible to vote if the arrears of subscription and/or other dues outstanding against him upto the end of March, 1956 do not exceed Rs. 25/-, or in case it exceeds the said amount, he pays at least $^1/_5$*-of the total dues outstanding against him upto such date, at least three days prior to the date of such elections.

Provided further that a new member shall not be entitled to vote untill he completes one year as member of Bar Association.*

35. Any member who is in arrears of subscription or of other dues for a period of three months or more shall be liable to have his right to the use of the Association room and other facilities forfeited, provided that this rule shall not come into operation unless the General Secretary has given 15 days notice for payment of such arrears and on the expiry of that term the Executive Committee has passed a resolution to that effect.

Re-enrolment :

36. Any person who has ceased to be a member under article 9 shall not be re-enrolled as a member unless he has paid up all arrears in full and has also paid a re-admission fee of Rs. 5/-.

Special Provision for arrears due before the bye-laws :

37. The Executive Committee shall have the authority to realise by installments, all arrears of subscription and/or other due, falling due upto the date of coming into force of these bye-laws.

Repeal & Saving:

38. The bye-laws of the Bar association, Jaipur, of the year 1932 are hereby repealed provided that all notices, rules, regulations and orders issued under them before the commencement of these bye laws shall remain in force as if issued under the relevant provisions of these bye-laws so long as fresh notices, fules, regulations and orders are not passed under these bye-laws.

AMENDMENT IN THE BYE-LAWS

39. Any amendment in these in these bye-laws can only be made by a resolution of the General body of the Association in an ordinary general meeting held after 15 days prior notice of the propose amendment and with a clear majority of four-fifth members present and voting, provided that such meeting is attended by not less than one half of the total number of Members of the Association excluding the Non-resident Members.

LIBRARY- RULES
OF
THE BAR ASSOCIATION, JAIPUR

(Framed under Article 17 (J) of The Bye-laws of Jaipur Bar Association, and passed by the Executive Committee on 16-10-56.

1. **NAME** : The Library shall be named **"JAIPUR BAR ASSOCIATION LIBRARY."**

2. **Situation and location** : It shall be located at the ' Bar Association Premises at Jaipur.'

3. **Definition :** Unless context refers to otherwise:

'Member' means a member of the Bar Association, Jaipur;

'Library' means Jaipur Bar Library;

'Books' includes Text Books, Law Reports, Journals and Periodicals, Digest, gazettes and Rajpatras.

4. **Membership and subscription:** Every member who is practising in Jaipur, shall be deemed to be a member of the Library and every ordinary member shall have to pay Rs. 6/-* p.m. on the first day of each month as subscription.

5. The Library Secretary shall be directly incharge of the Library.

6. All the daily routine work of the Library will be carried on by the Library Clerk appointed by the Association under the supervision of the Library Secretary and he will be authorised to collect subscriptions, penalties and other charges in respect of library and Books.

7. **Numbering of books :** (a) A Catalogue of all the books shall be maintained and kept in the library. It shall be open for inspection to members.

(b) Index of all general & text books shall also be maintained for use of members, and books shall be accordingly kept.

8. **Purchase of books and its Register :** (a) A separate register having full details of all the books purchased shall be maintained.

(b) Any member may make suggestions regarding purchase of books for the library and the Library Secretary shall put up such suggestions before the Executive Committee for consideration.

9. Daily Timings : The library shall open on all working days fifteen minutes before and close half an hour after the court hours.

10. Issue of books: Subject to such restrictions as contained in these rules, every member shall be entitled to get books issued then available in the Library. No member shall get issued any book or books from the Library for the use of any non-member.

(ii) All the books taken from the Library shall be returned on the very during library hours failing which charges will be realised from the members as provided in Rule 14.

(iii) Any non-member requiring the books may request the Library Secretary who may in his discretion allow the same after taking in advance charges as provided in Rule 14.

11. No book from the Library shall be issued to any member or any presiding officer of any court except on his signed requisition.

12. A register of books, issued but not returned on the same day, shall be maintained and whenever the books are received back an entry will be made therein.

13. The Executive Committee shall have the power to prohibit the issue of certain books, Gazettes, Journals etc., but in special cases President or the Library Secretary can accord special permission for the issue of such books on such terms as they deem proper. A list of such books shall be notified from time to time and shall remain with the clerk-incharge of the Library for information to members.

14. Charges: (i) If the books are not returned on the day issued, but are returned on next or any successive day, a fee of 20 paisa* per book per day will be charged from the members for any of the books issued intheir name except foreign law reports and text books and such rare books as may be notified by the Executive Committee, for which a fee of 50 paisa per day will be charged*.

(ii) When books are issued to non-members, they shall be liable to pay library charges for even the day of issue and at double the rates provided above in clause (I).

Explanation: Incase of a non-member charges will be realised even when the books are returned on the same day.

15. (i) No books except law reports shall be kept beyond a week by any member otherwise a penalty equal to double the amount of regular charges shall be levied after the first week.

(ii) All persons getting the books issued shall keep the books with due care and in good order and will not mark any signs or tear of any paper. If any book is received back in a bad condition the clerk incharge of library will collect repairing charges or its cost if the books is found not worth repairing in addition to the regular charges.

(iii) The Executive Committee shall have a right to fix the price and penalty etc. for the loss of damages for rare and valuable books. In case any book issued to any body is reported to be lost, such person will be liable to pay usual charges as provided above till the day it is so reported in writing and shall also pay the price of the book.

16. (i) Charges and penalty shall be paid to the clerk-in-charge of the Library by the members, or their clients along with the return of books. In case (payment is not made along with the return of a book) the member is not accompanied by the client, a special note shall be given by the member to the clerk-in-charge of Library for payment within a week. In any case, the payment shall be made by the member by the first fortnight of the next following month failing which books will not be issued to such member till the charges are fully paid.

(ii) A person who owes more than Rs. 25/- to the Bar Association, on account of any one or more or all of the following heads taken together, shall not be entitled either to get any books issued from the library or use any book in the library room:

(a) Membership subscription, (b) Library subscription,

(c) Library charges, (d) any other dues.

17. The library dues shall be the first charge on any payment made by any member of the association.

18. All current issues of every newspaper, magazine, journals and periodicals coming in the Association shall be kept on tables assigned for the purpose and shall not be removed by any member or taken out of the Association premises during library timings.

19. At the end of the year all the waste newspapers etc. will be disposed off by Library Secretary.

20. No person other than a member will be permitted to sit in the Library room.

21. Smoking will be strictly prohibited in the library room.

22. If any member commits a breach of the Library Rules, the Library Secretary will have the power to take action against him according to these rules or any course proposed by the Executive Committee of the Association.

23. All complaints about the Library should be made in writing to the Library Secretary.

दी बार एसोसिएशन, जयपुर

चुनाव नियम, 1981, 2003

(संशोधित)

(दी बार एसोसिएशन जयपुर की साधारण सभा दि. 10.12.81 द्वारा सर्व सम्मति से पारित किये तथा 23.12.81 की साधारण सभा द्वारा पुष्टि की गई)

उद्‌देशिका : दी बार एसोसिएशन जयपुर के चुनावों को सुचारू रूप से सम्पन्न कराने के उद्‌देश्य से यह नियम बनाए गए है।

(1) **नाम** - इस नियमों को दी जयपुर बार एसोसिएशन जयपुर चुनाव नियम 1981 कहा जावेगा।

(2) **प्रमाणीकरण** - यह नियम साधारण सभा द्वारा स्वीकार किए जाने के दिन से ही प्रभावी माने जावेंगे तथा इस तिथि के बाद जो भी जयपुर बार एसोसिएशन जयपुर के चुनाव होंगे, उन सभी पर लागू होंगे।

(3) **शासकीय वर्ष** – जयपुर बार एसोसिएशन जयपुर के विधान की धारा 10 के अनुसार शासकीय वर्ष 1 जनवरी से 31 दिसम्बर तक का निर्देशित है तथा बार एसोसियेशन विधान की धारा 28 के अनुसार वार्षिक साधारण सभा हेतु एक माह के नोटिस की व्यवस्था है। अतः बार एसोसियेशन की **कार्य समिति को वर्ष समाप्ति से पूर्व यह व्यवस्था पूरी करनी होगी एवं एतदर्थ कार्य समिति के निर्णयानुसार वार्षिक चुनाव हेतु अपनाई गई प्रक्रिया को स्पष्ट करने हेतु एवं चुनाव अधिकारियों के नाम की एवं दो सदस्यी चुनाव ट्रिब्यूनल के गठन की जानकारी हेतु सूचना प्रसारित करनी होगी।** यह सूचना एसोसियेशन के नोटिस बोर्ड पर लगाए जाने के अलावा जिस भी अन्य तरीकों से कार्य समिति अपने सदस्यों में प्रसारित करना चाहेगी, करा सकेगी।

(4) **सदस्यता** - बार एसोसियेशन की सदस्यता साधारणतया हर समय खुली है किन्तु चुनाव में मतदान हेतु केवल उन्हीं सदस्यों को मत देने का अधिकार होगा, जो चुनाव हेतु जारी किए गए सूचना के एक वर्ष पूर्व समदस्यता ग्रहण कर लेते है।

(5) **मतदाता की योग्यता** -

(क) जिस सदस्यों का एक माह से अधिक का सदस्यता शुल्क चुनाव हेतु नियत की गई तिथि के एक सप्ताह पूर्व तक भी जमा नहीं होता है, उन्हें मत देने का अथवा एसोसियेशन के चुनाव में प्रत्याशी के रूप मे खडे होने का अधिकार नहीं होगा। सदस्यों की सूची एसोसियेशन कार्यालय में साधारणतया कार्यालय समय में देखी जा सकेगी किन्तु सदस्यों की सुविधा एवं जानकारी हेतु चुनाव की तिथि की सूचना के दिन ही, जिस सदस्यों में चन्दा अथवा बकाया है, उनकी एक सूची नोटिस बोर्ड पर लगा दी जावेगी जिससे कि बकाया राशि से सम्बन्धित प्रत्येक सदस्य को जानकारी हो सकें।

(ख) जो सदस्य उम्मींदवारों के रिटायर होने की तारीख तक भी यदि बकाया राशि जमा करा देता है तो उसे चुनाव में मत देंने का अधिकार होगा किन्तु प्रस्तावक एवं समर्थक के जिम्मे नामांकन पत्रों की छंटनी के पूर्व सदस्यता राशि जमा कराना अनिवार्य होगा अन्यथा नामांकन रद्द किया जा सकेगा।

(6) **मतदाता सूची का प्रकाशन** - दी बार एसोसियेशन जयपुर बनीपार्क, जयपुर के चुनाव सम्बन्धी नोटिस जारी होने के एक सप्ताह तक अथवा निर्धारित तिथि तक जो सदस्य बनने की व्यवस्था है, उनके पूरी होने के 24 घण्टे में मतदाता सूची एसोसियेशन के नोटिस बोर्ड पर प्रकाशित कर दी जावेगी जिसके विषय में आपत्ति निर्वाचन अधिकारी द्वारा नियत समय पर सूची जाकर मतदाता सूची को अन्तिम रूप दे दिया जावेगा। मतदाता सूची के विषय में चुनाव अधिकारी का निर्णय अन्तिम होगा।

(7) चुनाव अधिकारी के कर्त्तव्य एवं अधिकार -

(क) चुनाव अधिकारी को मूलतः चुनाव सम्बन्धी सारी प्रक्रिया को पूरा करना होगा एवं तदर्थ आवश्यक निर्देश भी जारी कर सकेंगे तथा चुनाव अधिकारी अपनी सहायता एवं सहयोगार्थ स्वयं सहित पाँच सदस्यों तक की समिति का गठन भी कर सकेंगे जिस हेतु चुनाव अधिकारी को सदस्य मनोनीत करने का पूर्ण अधिकार होगा।

(ख) चुनाव अधिकारी घोषित तिथि पर चुनाव सम्पन्न कराने हेतु चुनाव कार्यक्रम प्रकाशित कर सकेंगे एवं चुनाव से सम्बन्धित प्रक्रिया एवं प्रसंग से सम्बन्धित निम्न बिन्दुओं को स्पष्ट कर सकेंगे।

(अ) सदस्य बनने की अन्तिम तिथि – यह तिथि सभी परिस्थितियों में चुनाव तिथि एवं कार्यक्रम की घोषणा के एक सप्ताह बाद तक की हो सकेगी जिसे किसी भी हालत में बढ़ाया नहीं जा सकेगा।

(ब) **बकाया शुल्क** - एसोसियेशन का बकाया शुल्क चुनाव तिथि से सात (7) दिन पूर्व तक जमा करवाया जा सकेगा। इस तिथि अथवा अवधि परिवर्तन का अधिकार बार एसोसियेशन की कार्य समिति को होगा. जो निर्णय चुनाव अधिकारी को सर्व विधि मान्य होगा।

(स) **मतदाता सूची** - उपरोक्त 7 (अ) (ब) में प्रदर्शित सूची प्रकाशित होने के बाद मतदान में यदि कोई आपत्तियाँ आती है तो उनका निराकरण 24 घन्टे में कर सूची को अन्तिम रूप देने का चुनाव अधिकारी को पूर्ण अधिकार होगा तथा इस विषय में चुनाव अधिकारी का निर्णय अन्तिम होगा।

(8) नामांकन पत्र -

(क) कार्यकारिणी चुनाव सूचना के साथ–साथ चुनाव तिथि भी घोषित करेगी जो सूचना के 30 दिन पहले की नहीं होगी।

(ख) बार एसोसियेशन के चुनाव हेतु नामांकन पत्र फार्म नं. 1 पर ही होंगे यह फार्म चुनाव अधिकारी द्वारा प्रमाधित हो जारी होंगे तथा निर्धारित 3/– रू. शुल्क पर एसोसियेशन कार्यालय से प्राप्त किये जा सकेंगे। अन्य किसी प्रकार से प्रस्तुत किये गये नामांकन पत्र अवैध मानते हुए अस्वीकार कर दिये जावेंगे।

(9) नामांकन तिथि – मतदाता सूची के प्रकाशित होने की तारीख से ही नामांकन पत्र पेश होने का क्रम जारी हो सकेगा तथा इस प्रक्रिया से सम्बन्धित तिथियों की घोषणा करने का अधिकार निर्वाचन अधिकारी को होगा।

(10) नामांकन की वैधता – प्रत्येक नामांकन पत्र पर प्रस्तावक समर्थक के हस्ताक्षरों के साथ ही साथ प्रत्याशी की स्वीकृति (सम्मति) का अंकन होना अनिवार्यतः आवश्यक होगा तथा उनका प्रस्तुतीकरण चुनाव अधिकारी अथवा उनके द्वारा मनानीत महोदय के समक्ष प्रस्तावक, समर्थक अथवा प्रत्याशी में से किसी एक द्वारा प्रस्तुत किया जा सकेगा जिसकी रसीद प्राप्तकर्ता उस ही समय प्रस्तुतकर्ता को देगा।

(11) प्रत्याशियों की योग्यताएँ – प्रत्येक प्रत्याशी जो बार एसोसियेशन का साधारण अथवा आजीवन सदस्य व मतदाता है तथा नामांकन तिथि के दि उस पर एक माह से अधिक का शुल्क बकाया नही है तथा जो सदस्य नीचे लिखी अनिवार्य योग्यताएँ रखते हों व सभी सदस्य एसोसियेशन के चुनाव हेतु प्रत्याशी हो सकेंगे। किन्तु अधिल भारतीय बाद कोन्सिल अथवा राजस्थान बार कौन्सिल द्वारा निलम्बित सदस्य अथवा नैतिक अधमता (मोरल टारपीटयूड) के अपराधी के रूप में दण्डित किसी भी सदस्य को बार एसोसियेशन के चुनावों में किसी पद अथवा कार्य समिति के सदस्य हेतु प्रत्याशी के रूप में भाग लेने का अधिकार नहीं होगा।

(12) **प्रस्तावक एवं समर्थक एवं समर्थक की योग्यताएँ** – प्रत्येक बार एसोसियेशन के सदस्य को जिसे बाद एसोसियेशन के चुनाव मे मत देने का अधिकार है, व प्रत्याशी के प्रस्तावक अथवा समर्थक के रूप में अपने अधिकार का प्रयोग कर सकेगा।

(13) **नामांकनों की जाँच** – चुनाव अधिकारी को नियत तिथि तक प्राप्त नामांकनों की जांच एवं उनकी छंटनी करने का तथा अवैध एवं नियमानुसार न पाए जाने वाले नामांकनों को रद्द करने का अधिकार होगा। छंटनी के समय यदि कोई नामांकन पत्र रद्द किया गया है अथवा गलत स्वीकार किया गया है उस विषय की शिकायत यदि किसी सदस्य को आती है तो उसे छंटनी के दिन ही चुनाव हेतु गठित चुनाव ट्रिब्यूनल को अपील कर सकेगा और उस आपत्ति पर 24 घन्टे में ट्रिब्यूनल को निर्णय कर चुनाव अधिकारी को सूचित करना होगा।

नामांकन पत्रों की जांच एंव वैधता के विषय में एसोसियेशन की कार्य समिति द्वारा गठित ट्रिब्यूनल का निर्णय अन्तिम होगा जिसके विषय में पक्षकारों द्वारा किसी न्यायालय के समक्ष अथवा अन्य किसी प्रकार से विवाद उठाने का अधिकार नहीं होगा।

(14) **प्रत्याशियों द्वारा नाम वापसी** – बार एसोसियेशन के पदाधिकारियों एवं कार्य समिति सदस्यों के प्रस्तावित एवं वैध पाये गये नामांकन वाले सदस्यों की नाम वापसी हेतु निर्वाचन अधिकारी मतदान तिथि के कम से कम 7 दिन पूर्व की तारीख निश्चित करेगा। जिस तिथि के बाद कोई नाम वापिस नहीं हो सकेगा। किन्तु रिटायरमेण्ट का नियमानुसार सभी प्रत्याशियों को अधिकार होगा। नाम वापिसी की प्रक्रिया के बाद यदि किसी एक पद पर एक ही प्रत्याशी शेष रहता है तो ऐसी स्थिति में निर्वाचन अधिकारी को उस प्रत्याशी को सम्बन्धित पद हेतु निर्विरोध निर्वाचित घोषित करने का अधिकार होगा।

(15) **प्रत्याशियों का रिटायरमेण्ट** - नाम वापसी के तीन दिन बाद तक की घोषित तिथि तक प्रत्येक प्रत्याशी जिन्होंने नाम वापिस नहीं लिया है, को रिटायर होने का अधिकार होगा तथा रिटायर होने वाले प्रत्याशी नाम मतदान पत्रों में अंकित नहीं किया जावेगा।

यदि रिटायरमेन्ट की इस प्रक्रिया के पश्चात् किसी एक पद हेतु एक ही प्रत्याशी शेष रहता है तो ऐसी स्थिति में निर्वाचन अधिकारी द्वारा उसे निर्विरोध निर्वाचित घोषित का अधिकार होगा।

(16) **मतदान पत्र** - चुनाव अधिकारी को मतदान पत्र प्रकाशित करने का तथा उनकी प्रामाणिकता हेतु अपने हस्ताक्षर उन पर करने का अधिकार होगा।

(17) **मतदान प्रक्रिया** - समस्त पदों हेतु जब तक कि किसी पद पर निर्विरोध निर्वाचन नहीं होता है, मतदान गुप्त मतदान द्वारा निर्वाचन अधिकारी की देख–रेख में सम्पन्न होगा।

(18) **प्रत्याशियों के अधिकार** - प्रत्येक प्रत्याशी ठोस पूर्ण मतदान प्रक्रिया पर स्वयं के द्वारा अथवा निर्धारित एजेन्ट जो निर्धारित फार्म पर नियुक्त होगा निगाह रखने का एवं समय–समय पर सम्बन्धित के हितरक्षार्थ आपत्ति उठाने का अथवा चुनाव अधिकारी से विवादास्पद विषय पर निर्णय कराने का अधिकार होगा।

(19) **चुनाव एजेन्ट अथवा मतगणना एजेन्ट की नियुक्ति** - सभी प्रत्याशियों को निर्धारित फार्म पर चुनाव एजेन्ट अथवा मतगणना एजेन्ट की नियुक्ति का अधिकार होगा जो फार्म 1/– रू0 शुल्क पर एसोसियेशन से प्राप्त किये जा सकेंगे।

(20) **मतगणना एवं चुनाव घोषणा** - मतदान समाप्त होने के तुरन्त बाद मतगणना आरम्भ होगी एवं चुनाव अधिकारी अपनी देख–रेख में मतगणना सम्पन्न करायेंगे जो गणना एक बाद शुरू होने पर पूर्ण होने तक निरन्तर जारी रहेगी और चुनाव परिणाम मतगणना के बाद तुरन्त बाद चुनाव अधिकारी को घोषित करने होंगे

तथा सर्व साधारण की जानकारी हेतु घोषित परिणाम एसोसियेशन के नोटिस बोर्ड पर प्रकाशित करने होंगे।

किन्तु यदि किसी प्रत्याशी को पुनः मतगणना करानी हो तो वह 11/– रू0 शुल्क जमा कराकर आवेदन के माध्यम से करा सकेगा और जब तक पुनः मतगणना नहीं हो जाती सम्बन्धित परिणाम घोषित अथवा प्रकाशित नहीं किया जावेगा।

(21) **चुनाव सम्बन्धी रिकार्ड** - एसोसियेशन के चुनाव सम्पन्न हो जाने के पश्चात् जब तक चुनाव के कारण उत्पन्न विवाद का निपटारा नही हो जाता है सम्बन्धित रिकार्ड को चुनाव अधिकारी अपने हस्ताक्षर एवं मोहर से मय चुनाव ट्रिब्यूनल के कम से कम एक अधिकारी के हस्ताक्षरों के सीलबन्द कर एसोसियेशन कार्यालय में सुरक्षित रखने की व्यवस्था करेंगे जो बाद में यदि आवश्यक समझा जावें तो चुनाव ट्रिब्यूनल के आदेश पर ही खोला जा सकेगा।

किन्तु चुनाव सम्बन्धी रिकार्ड सम्बन्धित चुनाव की कालावधि समाप्त होने तथा नए चुनाव होने के बाद कार्य समिति के निर्देशानुसार नष्ट किया जा सकेगा।

(22) **चुनाव ट्रिब्यूनल की सार्वभौमिकता** - चुनाव हेतु गठित चुनाव ट्रिब्यूनल चुनाव हेतु समस्त प्रक्रिया एवं विवादों के बारे में अन्तिम रूप से निपटारा करने में पूर्णतया सक्षम होगा। जिसके अधिकारों एवं निर्णयों को न्यायालयों में चुनौति नहीं दी जस सकेगी।

(23) **परिणाम प्रकाशन** - चुनाव परिणामों के प्रकाशन का केवल मात्र अधिकार चुनाव अधिकारी को होगा और वे ही समाचार पत्रों में प्रसारित करने हेतु विज्ञप्ति जारी कर सकेंगे।

(24) **चुनाव अपराध** - कोई भी सदस्य जो चुनाव नियमावली का उल्लंघन करते हुए चुनाव अधिकारी अथवा चुनाव ट्रिब्यूनल के निर्णयों की अवमानना करता है उसे सम्बन्धित की लिखित

शिकायत पर नव निर्वाचित कार्य समिति को, दोषी सदस्य को सुनकर निम्न प्रकार से निर्णय देने का अधिकार होगा।

(क) आरोप मुक्त करना।

(ख) भावी चुनावों हेतु निर्धारित अवधि तक के लिये अयोग्य घोषित करना।

(ग) बार एसोसियेशन की सदस्यता से निर्धारित अवधि के लिये निलम्बित करना।

(घ) अन्य कोई निर्णय जो कार्यकारिणी उचित समझें।

(25) **निर्वचन** बार एसोसियेशन के चुनाव हेतु बने नियमों के सम्बन्ध में यदि कभी कोई निर्वचन सम्बन्धी विवाद उत्पन्न हो जावे तो ऐसी स्थिति में मतदान प्रक्रिया चालू होने के बाद निर्वाचन अधिकारी अथवा चुनाव ट्रिब्यूनल को उसके अर्थ एवं प्रयोजन के बारे में निर्णय लेने का अधिकार होगा जो सर्व मान्य होगा।

किन्तु यदि निर्वचन सम्बन्धी प्रश्न अन्य किसी प्रकार से उठता है या कोई समस्य निर्वचन कराकर किसी बिन्दु को स्पष्ट कराना चाहता है तब ऐसी स्थिति में निर्वचन का अधिकार एसोसियेशन की कार्य समिति का होगा।

(26) **शपथग्रहण** - निर्वाचन की घोषणा के बाद निर्वाचित पदाधिकारियों एवं कार्य समिति के सदस्यगण को निवृतमान अध्यक्ष अथवा अन्य कोई मनोनीत व्यक्ति जिसके विषय में चुनाव ट्रिब्यूनल निर्णय लेवे द्वारा शपथग्रहण कराई जायेगी जिस अवसर पर होने वाले समस्त व्यय भार का वहन अनुपातिक रूप से निर्वाचित पदाधिकारियों एवं सदस्यगणों को निजी तौर पर वहन करना होगा।

(27) **सहयोजित सदस्य** - जयपुर बार एसोसियेशन को सशक्त एवं इसके कार्यक्रमों को प्रभावी रूप से क्रियान्वित कराने हेतु निर्वाचित बार एसोसियेशन कार्य समिति को, चार सहयोजित सदस्य विभिन्न एसोसियेशन एवं अन्य को सहयोजित करने का अधिकार होगा।

(अ) राजस्थान उच्च न्यायालय बार एसोसियेशन का एक प्रतिनिधि।

(ब) टैक्स बार एसोसियेशन का एक प्रतिनिधि।

(स) जयपुर कलेक्टरेट बार एसोसियेशन का एक प्रतिनिधि।

(द) महिला अभिभाषक प्रतिनिधि, एक प्रतिनिधि।

(28) चुनाव नियमों में संशोधन भविष्य में जयपुर बार एसोसियेशन की साधारण सभा को कार्यसमिति द्वारा प्रस्तावित किये जाने पर प्राप्त प्रस्ताव पर उपस्थित सदस्यों के बहुमत के आधार पर किया जा सकेगा।

दी बार एसोसियेशन, जयपुर
चुनाव नियम, 1981
नामांकन पत्र नियम 8

श्रीमान् निर्वाचन अधिकारी महोदय,
दी बार एसोसियेशन, जयपुर

प्रस्ताव

मैं, ... मतदाता क्रम संख्या ....श्री .... मतदाता क्रम सं0 .... को दी बार एसोसियेशन जयपुर के वार्षिक चुनाव दिनांक .... में .... पद हेतु प्रत्याशी प्रस्तावित करता हूँ।

भवदीय

हस्ताक्षर प्रस्तावक

दिनांक :

मान्यवर,

मैं .... मतदाता क्रम सं0 .... प्रस्तावक श्री .... द्वारा जो श्री .... का .... पद हेतु प्रस्तावित नामांकन है, उसका समर्थन करता हूँ।

हस्ताक्षर समर्थक

सम्पति

मैं .... मतदाता क्रम सं0 .... दी बार एसोसियेशन जयपुर के दिनांक .... के चुनाव में .... पद हेतु प्रत्याशी होना स्वीकार करता हूँ।

दिनांक

हस्ताक्षर प्रत्याशी

नोट – फार्म का शुल्क 3) रूपये होगा (नियम 8)

श्री .... का नामांकन पत्र .... पद हेतु दिनांक .... को .... बजे स्वयं/प्रस्तावक/समर्थक द्वारा प्राप्त किया गया।

हस्ताक्षर निर्वाचन अधिकारी

दी बार एसोसियेशन, जयपुर
चुनाव नियम, 1981
फार्म नम्बर 2
नाम वापसी रिटायरमेन्ट आवेदन नियम 15

श्रीमान् निर्वाचन अधिकारी महोदय,
दी बार एसोसियेशन,
जयपुर

मान्यवर,

मैं .... जो दी बार एसोसियेशन जयुपर कें दिनांक .... के चुनाव में, ... पद हेतु प्रत्याशी हूँ, अपना नाम स्वेच्छा से वापिस लेता हूँ/रिटायर होता हूँ। अतः मुझे प्रस्तावित चुनाव हेतु प्रत्याशी न समझा जावे।

हस्ताक्षर प्रत्याशी

दिनांक :

नोट - फार्म का शुल्क 1 रूपये देय होगा।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री .... ने अपना नाम वापसी/रिटायरमेन्ट का आवेदन मेरे समक्ष स्वयं द्वारा पेश किया जो आवेदन स्वीकार किया जाकर प्रत्याशियों की सूची से सम्बन्धित का नाम हटाया गया।

दिनांक

हस्ताक्षर चुनाव अधिकारी

दी बार एसोसियेशन, जयपुर
चुनाव नियम, 1981
फार्म नम्बर 3

चुनाव एजेन्ट मतगणना अभिकर्ता का नियुक्ति-पत्र (नियम 20)

श्रीमान् निर्वाचन अधिकारी महोदय,
दी बार एसोसियेशन, जयपुर

मान्यवर,

मैं, दी बार एसोसियेशन के दिनांक .... को हो रहे चुनाव में, ... पद के लिए प्रत्याशी हूँ।

मैं श्री .... को मेरी ओर से चुनाव एजेन्ट/मतगणना अभिकर्ता नियुक्त करता हूँ जिनके हस्ताक्षर में प्रमाणित कर रहा हूँ।

दिनांक : भवदीय

हस्ताक्षर एजेन्ट हस्ताक्षर प्रत्याशी

मान्यवर,

मुझे श्री .... का चुनाव एजेन्ट/मतगणना अभिकर्ता बनना स्वीकार है।

दिनांक : भवदीय

हस्ताक्षर एजेन्ट

नोट - फार्म का शुल्क 1 रूपये देय होगा।

दी बार एसोसियेशन जयपुर,
एडवोकेट्स कल्याण कोष समिति
दी बार एसोशिएशन जयपुर, सिविल कोर्ट बनीपार्क, जयपुर।

समिति निर्माण की पृष्ठभूमि :-

काफी लम्बे समय से इस बात पर विचार किया जा रहा है कि एसोसियेशन के सदस्यों को मृत्यु, गंभीर बीमारी दुर्घटना इत्यादि की स्थिति में कुछ धनराशि उनके द्वारा जमा की गई राशि का एक फण्ड बना कर वितरित की जावे जिससे ऐसे लोगों को अविलम्ब सहायता मिल सके जिनके पास उचित संसाधन उपलब्ध नहीं है। यह बार एसोसियेशन कोई ऐसी स्कीम तैयार करें जिससे इस समिति के सदस्यों को किसी बीमा कम्पनी के मार्फत मेडीक्लेम व अन्य सुविधाऐं उपलब्ध कराई जा सके। समय समय पर ऐसा देखा गया है कि एडवोकेट्स को गंभीर बीमारियों व दुर्घटना के समय इलाज के लिये तथा उनके परिवारों को असामयिक मृत्यु हो जाने पर उचित संसाधन उपलब्ध नहीं होते हैं या बीमारी के समय उन्हें राशि उपलब्ध नहीं हो पाती। सभी खर्चों का बार एसोसियेशन से भुगतान कराना तो सम्भव नहीं है लेकिन इस विषय में कुछ मदद करने की नियत से एक ऐसी कल्याण समिति तैयार की जावे जिससे समिति फण्ड के सदस्यों को एसी परिस्थितियों में कुछ राशि दिलाई जा सके। सदस्यों को दिये जाने वाले राशि का निर्धारण दी बार एसोसियेशन कल्याण समिति द्वारा किया जाकर दिया जायेगा। इसी आधार पर दी बार एसोसियेशन जयपुर ने इस कल्याण समिति की स्थापना 25000 रूपये से की है। उक्त राशि को कल्याण समिति में लाया जाकर कल्याण समिति की विधिवत घोषणा इस दस्तावेज के जरिये की जा रही है। कल्याण समिति के निम्न प्रावधान होंगे :—

1. **समिति का नाम :–**

दी बार एसोसियेशन जयपुर एडवोकेटस् कल्याण कोष समिति
(THE BAR ASSOCIATION JAIPUR ADVOCATES WELFARE FUND SOCIETY)

लागू होने की तिथि :- यह संविधान 1 मई 2007 से लागू होगा।

2. **कार्यालय :–**

कल्याण समिति का कार्यालय दी बार एसोसियेशन जयपुर, सिविल कोर्ट बनीपार्क में रहेगा।

3. कल्याण समिति के उद्देष्य :-

1. कल्याण समिति के सदस्यों की बीमारियों की स्थिति में चिकित्सा संबंधी व्यवस्था करना चिकित्सा हेतु कल्याण समिति के प्रावधानों के अनुरूप अनुदान देना।

2. दुर्घटना या अन्य कारणो से हुई मृत्यु पर समिति के सदस्यों के परिवारों को वित्तिय सहायता देना।

3. कल्याण समिति के सदस्यों का मेडीक्लेम ग्रुप बीमा, दुर्घटना बीमा आदि कराना उन्हें उक्त योजना के तहत लाभ दिलाना।

4. कल्याण समिति द्वारा समय समय पर लिये गये निर्णयों की कियान्विति करना।

4. कल्याण समिति के सदस्यों की योग्यता :-

1. दी बार एसोसियेशन जयपुर का सदस्य होना अनिवार्य है।

2. जयपुर के न्यायालयों में नियमित रूप से वकालत कर रहा हो।

3. सदस्य राज्य सरकार/केन्द्र सरकार/सरकारी उपकम व लिमिटेड व प्राईवेट लिमिटेड कम्पनी द्वारा पेन्शन याफ्ता या सेवानिवृत्त, अनिवार्य सेवानिवृत्त, डिसमिस्ड नहीं होना चाहिये।

4. सदस्य की आयु बार कौंसिल ऑफ राजस्थान मे रजिस्ट्रेशन कराते समय उम्र 45 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिये।

5. यदि अधिवक्ता कल्याण समिति के सदस्य बनने के उपरान्त कोई सरकारी या गैर–सरकारी नौकरी कर लेता है अथवा स्वयं का व्यापार या अन्य सरकारी उपक्रम या प्राईवेट संस्था में कार्य करता है तो एसे सदस्य की सदस्यता स्वतः ही समाप्त समझी जावेगी। उस सदस्य को किसी प्रकार की सहायता राशि देय नहीं होगी।

5. कल्याण समिति की निधि के श्रोत :-

1. स्थायी निधि :-

1. दी बार एसोसियेशन जयपुर द्वारा अदा की गई राशि 51000/– रूपये।

2. दी बार एसोसियेशन जयपुर द्वारा मासिक अदा की जाने वाली राशि जो कम से कम 5000/– रूपये मासिक या इससे अधिक कोई भी राशि हो सकती है।

3. दी बार एसोसियेशन जयपुर के पूर्व, वर्तमान व भविष्य में आने वाले अध्यक्षों द्वारा न्युनतम 5100/– रूपये प्रत्येक का अंशदान।

4. बार कौंसिल ऑफ राजस्थान के पूर्व, वर्तमान एवं भविष्य में आने वाले सदस्य जो दी बार एसोसियेशन जयपुर के सदस्य हैं द्वारा प्रदत्त अंशदान कन्ट्रीब्युशन जो कि न्यूनतम 5100/–रूपये होगा।

5. दी बार एसोसियेशन जयपुर के एडवोकेट्स जिनके द्वारा कम से कम अंशदान 5100/–रूपये इस फण्ड में दिया गया है।

6. कल्याण समिति फण्ड को विभिन्न स्त्रोंतो से प्राप्त होने वाली राशि।

7. समिति फण्ड में 30 अप्रेल 2007 तक जमा समस्त निधि (राशि) भी कल्याण कोष समिति की स्थायी निधि में शामिल की जायेगी ।

8. बार कौंसिल ऑफ राजस्थान से प्राप्त अनुदान/अंशदान

9. राज्य व केन्द्र केन्द्र सरकार से प्राप्त अनुदान आदि

10. फण्ड के सदस्यों द्वारा जमा की जाने वाली पंजीकरण राशी जो कम से कम 200/– रूपये होगी।

11. अस्थायी फण्ड में प्राप्त राशी को 20 प्रतिशत स्थायी फण्ड में हस्तातंरित की जावेगी।

12. दी बार एसोसियेशन के वार्षिक चुनाव लडने वाले प्रत्याशी निम्न प्रकार से अनुदान स्थायी फण्ड में देंगें:–

1.	अध्यक्ष पद हेतु–	1100/– रूपये
2.	महासचिव व उपाध्यक्ष–	500/–रूपये
3.	अन्य पदाधिकारी	250/–रूपये
4.	कार्यकारिणी सदस्य –	100/–रूपये

13. दी बार एसोसिएशन जयपुर एडवोकेट कल्याण कोष समिति का चुनाव लड़ने वाले प्रत्येक सदस्य को एक आवेदन पत्र भरना होगा जिसका आवेदन शुल्क 100/– रूपये होगा ।

नोट:– ऐसा व्यक्ति जो कमशः 3,4,5 में या उनमें से किन्ही एक या एक से अधिक में आता हो तो उसके द्वारा एक ही बार राशि अदा की जावेगी तथा उसे कोई अलग से वार्षिक शुल्क नहीं देना होगा।

2. अस्थायी निधि :–

फण्ड की अस्थायी निधि निम्न प्रकार प्राप्त होगी।

1. वकालत नामे या टिकिटों की बिकी से प्राप्त राशि।

2. समिति के सदस्यों द्वारा दिया जाने वाला वार्षिक अनुदान जो 5 वर्ष की वकालत 100/– रूपये प्रतिवर्ष, 5 से 10 वर्ष तक की वकालत के लिये 150/– रूपये व 10 वर्ष से अधिक की वकालत वाले सदस्य को 200/–रूपये प्रतिवर्ष देय होगा तथा सदस्य यदि चाहे तो एक मुश्त 2100/–रूपये की राशी अदा कर आजीवन सदस्यता प्राप्त कर सकेगा।

यह राशि कल्याण समिति व दी बार एसोसियेशन जयपुर के कार्यकारिणी की संयुक्त बैठक में 2/3 पूर्ण बहुमत से बढायी जा सकती है।

3. स्थायी फण्ड में जमा राशि पर मिलने वाला ब्याज की राशिं।

4. न्यायालय द्वारा लगाई गई कोस्ट व हर्जाने की राशि जो एडवोकेट्स द्वारा प्रोत्साहित करके वेलफेयर फण्ड में जमा करायी जावे।

6. कल्याण समिति की राशि का विनियोजन एवं बैंक खाता :- शिड्युल

समिति की निधि का नियोजन व अनुसूचित बैंक, अनुसूचित व्यवसायिक बैंक व राष्ट्रीयकृत बैंको में या राजकीय सिक्योरिटी में अथवा किसी अधिकृत वैद्यानिक वित्तीय संस्था में विनियोजित किया जा सकेगी। पचास हजार रूपये से अधिक राशि उपलब्ध होने पर उक्त राशि को समयावधि जमा फिक्स डिपोजीट में बदल दिया जायेगा ताकि अधिक ब्याज मिल सके। समिति के नाम किसी एक बैंक या बैंको में सेंविंग खाते खोल सकेंगे व इस सोसायटी के खाते का संचालन दी बार एसोसियेशन जयपुर के अध्यक्ष, सचिव, व कोषाध्यक्ष जो कि पदेन अमानतदार है, में से किन्हीं दो के हस्ताक्षरो से संचालित किया जा सकेगा। इस कार्य के लिये समिति लिखित प्रस्ताव पारित करेगी और अकाउन्ट ऑपरेशन करने वाले पदेन पदाधिकारियों के परिवर्तन होने पर परिवर्तित नामों के हस्ताक्षरों की सूचना बैंक को देगा। पदेन अमानतदार समिति संबंधी लेखों का संचालन नियमित रूप से रखेंगे, लेखों का वित्तीय वर्ष एक अप्रेल से शुरू होकर 31 मार्च को समाप्त होगा। लेखा वर्ष समाप्त होने पर एक/तीन माह के भीतर मान्य लेखा परीक्षक द्वारा गहन लेखा परीक्षण करवाया जोयगा। इसके अतिरिक्त लेखा परीक्षक का यह कर्तव्य होगा कि वह इस सोसायटी फण्ड को लम्बे समय तक जीवित रखने के आधार पर किये गये भुगतानों व मिलने वाली राशि का परीक्षणकर अपनी रिपोर्ट दे। सोसायटी के लेखे रखने और उन्हें संधारित करने का दायित्व सोसायटी के पदेन अमानतदार कोषाध्यक्ष का होगा। जो कि इस विषय में ट्रस्ट मण्डल के प्रति

जिम्मेंदार होगें। बार के अध्यक्ष व सचिव को व सोसायटी के सदस्यों को समय समय पर इन लेखों का परीक्षण करने का अधिकार होगा।

7. जमा राशियों का उपयोग :-

1. स्थायी निधि में जमा राशि का उपयोग नहीं किया जा सकेगा। यह राशि शिड्युल बैंको में, शिड्यूल व्यावसायिक बैंक या राजकीय सिक्योरिटी एवं अधिकृत्त वैद्यानिक संस्था में जमा रहेगी। केवल ब्याज एवं कमीशन की राशि को अस्थायी निधि कोष में हस्तांतरित किया जा सकेगा।

2. यह कि अस्थायी निधि का उपयोग राजकीय देयदाताओं का भुगतान करने व समिति फण्ड के लाभार्थी सदस्यों या दुर्घटना बीमारी या मृत्यु की स्थिति में दी जाने वाली अनुग्रह राशि या बीमा योजनाओं में लाभार्थी सदस्यों के उपयोग के लिये दी जाने वाली राशि के लिये खर्च की जा सकेगी। इस राशि का उपयोग इसके अतिरिक्त अन्य किसी मद के लिये नहीं किया जा सकेगा।

3. इस राशि से स्टाम्प, वकालतनामें की प्रिन्टिंग आदि के लिये खर्च किया जा सकेगा।

8. कल्याण समिति मण्डल के पदाधिकारियों की नियुक्ति :-

इसके निम्नलिखित पदाधिकारी होंगे:—

1. पदेन :— दी बार एसोसियेशन जयपुर की कार्यकारिणी चुने गये प्रतिनिधियों में अध्यक्ष, महासचिव व कोषाध्यक्ष इस सोसायटी के पदेन सदस्य होंगे। जिनका कार्यकाल एसोसियेशन कार्यकारिणी में उनके कार्यकाल के अनुरूप होगा।

2. चुने गये प्रतिनिधियों का कार्य काल दी बार एसोसियेशन जयपुर की कार्यकारिणी के समकक्ष एवं नई कार्यकारिणी के गठन के पन्द्रह दिवस में कराया जायेगा कल्याण समिति के सदस्यों का दी बार एसोसियेशन जयपुर के महासचिव द्वारा शपथ लेने के पन्द्रह दिवस में करायेगा। वेलफेयर के सदस्यों के निर्वाचन के लिये चुनी गई कार्यकारिणी द्वारा मतदान किया जायेगा।

मतदान के समय बार के सहयोजित सदस्यों को मत देने का अधिकार नहीं होगा व मत बराबर के मत आने की स्थिती में ही अध्यक्ष अपने मत का प्रयोग करके निर्णायक मत दे सकेगा।

चुने गये अमानतदार निम्न प्रकार होगा :–

1. दी बार एसोसियेशन जयपुर के पूर्व अध्यक्षों में से दो सदस्य जो कि सोसायटी फण्ड के धारा 5(1) (3) के अनुसार सदस्य होंगे का निर्वाचन होगा।

2. बार कौंसिल ऑफ राजस्थान के वर्तमान व पूर्व सदस्यों में से दो सदस्य जो सोसायटी के विधान 5(1) (4) के अधीन पात्र हो का निर्वाचन होगा।

3. ट्रस्ट फण्ड की धारा 5(1) (5) के तहत बने सदस्यों में से किसी दो सदस्यों का निर्वाचन होगा।

4. छः सदस्यों का निर्वाचन सोसायटी फण्ड के साधारण लाभार्थी सदस्यों में से भी होगा। इन व्यक्तियों का चुनाव कार्यकारिणी के कार्यकाल एवं नई कार्यकारिणी के 30 दिवस बाद तक रहेगा तथा किसी पद के रिक्त होने पर शेष अवधि के लिये स्थान रिक्त होने के 15 दिन की अवधी में सचिव महोदय नामांकन आमन्त्रित करेंगे। नोमीनेशन प्राप्त होने के सात दिवस के पश्चात् व हर सूरत में एक माह के भीतर दी बार एसोसियेशन जयपुर की कार्यकारिणी की बैठक बुलाई जाकर चुनाव प्रक्रिया अपनाई जावेगी व चुने गये प्रतिनिधि समिति मण्डल के चुने गये पदाधिकारी होंगे। समिति फण्ड का वो ही व्यक्ति लाभर्थी सदस्य बन सकता है जा कि दी बार एसोसियेशन जयपुर का नियमित सदस्य हो तथा जिसने इस समिति फण्ड द्वारा निर्धारित पंजीकरण शुल्क अदा कर अपना पंजीकरण करा लिया हो।

दी बार एसोसियेशन के इस संविधान के लागू होने से अगले चुनाव होने तक वर्तमान कार्यकारिणी उपरोक्त 1 से 4 केटेगरी के सदस्यों का नामाकंन कर देगा तथा बाद में निर्धारित प्रक्रिया के चुनाव होंगें।

9. वैलफेयर स्टाम्प/वकालतनामा शुल्क :-

दी बार एसोसियेशन जयपुर के प्रत्येक अभिभाषक को दी बार एसोसियेशन जयपुर से प्रिन्टेड निर्धारित शुल्क का वकालतनामा या दी बार एसोसियेशन द्वारा जारी किया गया 5/– रूपये का वैलफेयर टिकट हर वकालतनामे पर लगाना अनिवार्य होगा। इस स्टाम्प को प्रिन्ट करने व उसका हिसाब किताब रखने का दायित्व सोसायटी के पदेन अमानतदार का होगा। इस टिकट की दर में सोसायटी एवं बार एसोसियेशन द्वारा समय समय पर संयुक्त बैठक में पूर्ण बहुमत से संशोधन किया जा सकेगा।

10. समिति मण्डल की बैठक :-

समिति मण्डल की बैठक सोसायटी के कार्यों को निपटाने के लिये दो माह में कम से कम एक बार आहूत की जावेगी। जिसमे समिति फण्ड के कार्यकलापो व उसके संचालन की रिपोर्ट पदेन कोषाध्यक्ष देगा। बैठक का कौरम कम से कम 8 पदाधिकारीयों का होगा तथा सोसायटी के तहत महत्वपूर्ण निर्णय लेने या सदस्यों एवं उनके उत्तराधिकारियों को राशि का भुगतान करने या योजनाओं में भुगतान करने या नई योजनाओं में निवेश करने, विधान में संशोधन एवं परिवर्तन करने आदि मामलों में सोसायटी का निर्णय कुल सदस्यों के बहुमत से होगा।

11. समिति मण्डल के कार्य :-

1. मृत्यु एवं बीमारियों की स्थिति में दी जाने वाली राशि की गणना कल्याण कोष समिति निम्न प्रकार करेगी :–

अस्थायी फण्ड में स्थाई फण्ड की राशि स्थानान्तरित करने के बाद 20 प्रतिशत राशि गम्भीर बीमारी, स्थायी विकलांगता, मेजर सर्जरी या इन्क्यूरेबल डिजीज से ग्रस्त सदस्यों को अनुदान देने हेतु रखी जावेगी तथा इस प्रकार गत वर्ष की अस्थाई फण्ड में शेष 80 प्रतिशत राशि गत वर्ष हुई सदस्यों की मृत्यु को ध्यान में रखते हुए

गणित की जावेगी और उसी आधार पर वर्ष भर में प्रत्येक मृतक सदस्य के परिवार को आनुपातिक राशि अदा की जावेगी । यह राशि मृत्यू की स्थिती में 50000 रूपये से अधिक अदा नहीं की जा सकेगी तथा कल्याण कोष की राशि बढने पर उक्त राशि को आनुपातिक रूप से बढाई जा सकेगी।

जहां तक सदस्यों की उपरोक्त बिमारी के लिये अनुदान का प्रश्न है उसकी गणना के लिये राजस्थान वेलफेयर एक्ट की धारा 25 ए. व 25 बी. में प्रतिपादित सिद्वान्तों को लागू माना जायेगा। मोटर दुर्घटना वाद से या मेडीक्लेम पॉलिसी के जरिये इलाज का खर्चा प्राप्त करने वाले सदस्यों को किसी भी प्रकार की राशी दिये जाने से पूर्व यह तथ्य आवश्यक रूप से ध्यान रखा जायेगा कि किसी भी सदस्य को दो बार अलग अलग स्त्रोतों से राशी प्राप्त करने का अधिकार नहीं होना चाहिये।

इलाज के लिये राशी चाहे जाने वाले सदस्यों को निर्धारित परफोर्मा में मूल (असल) बिलों व मेडिकल बिलों के साथ आवेदन करना होगा।

2. समिति मण्डल प्रत्येक वर्ष बजट तैयार करेगी जिसमें अनुमानित आय व दिये जाने वाली राशि व खर्चों का आकलन होगा। प्रत्येक वर्ष अस्थायी निधि से होने वाली संभावित आय से अधिक राशि वितरित नहीं की जावेगी।

3. यह कि प्रत्येक वर्ष बजट बनाते समय सोसायटी मण्डल को अनुग्रह राशि के बतौर दी जाने वाली राशि की बढोतरी का अधिकार होगा लेकिन उन्हें इस विषय में उन सिद्धान्तों को ध्यान में रखना होगा जो कि बीमे के संबंध में रखे जाते हैं।

4. समिति मण्डल को इस फण्ड का प्रचार व प्रसार करने के लिये आवश्यक कार्यवाही करनी होगी। आवश्यकता पडने पर इस फण्ड के सदस्य तथा गैर सदस्यों से राशि प्राप्त करने के लिये भी अग्रसर रहना होगा ताकि स्थायी कोष बढ सके।

5. सोसायटी मण्डल के पदाधिकारियों को यह अधिकार होगा कि पंजीयन शुल्क आदि में परिवर्तन कर सके। लेकिन ऐसा परिवर्तन सोसायटी के गठन के पहले तीन वर्ष तक नहीं किया जावेगा। उसके बाद यह अधिकतम 10 प्रतिशत वार्षिक से ज्यादा नहीं होगा।

6. नोमिनेशनः– प्रत्येक लाभार्थी सदस्य को समिति फण्ड में मिलने वाले लाभों के लिये नामाकंन कराना आवश्यक होगा जिसमें नोमिनेशन नाम भी अंकित करना होगा आकस्मिक मृत्यु की स्थिति में ऐसे नामित व्यक्ति को भुगतान करने से समिति अपने दायित्व से मुक्त हो जावेगा। सदस्य की मृत्यु होने की स्थिति में नामित व्यक्ति द्वारा नोटेरी से अपने हस्ताक्षर मय फोटो प्रमाणित करवाकर आवेदन पत्र प्रस्तुत करना होगा एंव जिसके साथ मृत्यु प्रमाण पत्र सलग्न करना होगा साथ ही मृत्यु का कारण भी स्पष्ट करना होगा। एक से अधिक भुगतान के आवेदन आने की स्थिति में दी बार एसोसियेशन जयपुर अगर अन्यथा कोइ अदालती आदेश नहीं होता है तो नोमिनी के हित में भुगतान का आदेश करेगी। अगर किसी कारण नोमिनी नहीं होता है या नोमिनी की मृत्यु हो जाती है तो ऐसी स्थिति में भुगतान सभी विधिक उत्तराधिकारियो को बराबर या किसी एक व्यक्ति को अन्य व्यक्तियों द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र दिये जाने पर दिया जायेगा ओर इस प्रकिया को अपनाने पर ही समिति का समिति का भुगतान के प्रति दायित्व पूर्ण हो जायेगा। अन्य स्थितियों में उत्तराधिकार प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।

7. सोसायटी मण्डल अपनी बैठक में यह निर्धारित कर सकता है कि राहत राशि प्रत्येक बीमारी या दुर्घटना में दी जावे ऐसा आवश्यक नहीं है। तात्पर्य है कि स्थायी विकलांगता, गंभीरतम दुर्घटना व बीमारी के लिये अनुग्रह राशि उनके उत्तराधिकारियों को देने की नियत से ही यह फण्ड निर्मित किया गया है।

8. किसी भी लाभार्थी सदस्य या उसके उत्तराधिकारियों को किसी भी प्रकार का समिति फण्ड से विवाद होने की सूरत में उसका निर्धारण पंच कार्यवाही से होगा इस हेतु समिति मण्डल पंच की नियुक्ति करेगा और उसक निर्णय सभी को मान्य होगा। समिति फण्ड के निष्पादन या किये जाने वाले भुगतान के विवाद को लेकर न्यायालयों में कोई सिविल वाद दायर नहीं किया जा सकेगा। पंचनिर्णय के विरूद्ध 15 दिवस में बार एसोसियेशन की कार्यकारिणी में अपील करने का अधिकार होगा।

9. उपरोक्त वेलफेयर कमेठी के बजट व आय व्यय का ब्यौरा दी बार एसोसियेशन जयपुर में नियुक्त कर्मचारियों द्वारा रखा जायेगा। जिसका वेतन अलग से नहीं दिया जायेगा।

10. वेलफेयर समिति की रसीद एवं टिकटों का वितरण कोषाध्यक्ष/महासचिव के हस्ताक्षरों के बाद जारी की जा सकेगी एवं हिसाब किताब के लेखा जोखा के लिये एक लेजर रखा जावेगा जिसकी पूर्ति दिन प्रतिदिन की जावेगी रसीद व टिकटों को जारी करने का एक रजिस्टर रखा जावेगा जिसमें जारी करने की तारीख व रसीद व टिकट नम्बर व संख्या लिखी जावेगी एवं उक्त रजिस्टर को कोषाध्यक्ष व महासचिव के हस्ताक्षरों से सत्यापित होगा।

11. सदस्यता समाप्ति

प्रत्येक सदस्य को प्रतिवर्ष एक अप्रेल को अपना सदस्यता शुल्क जमा करवाना होगा। शुल्क जमा कराने का दायित्व सदस्य का स्वयं का होगा इस हेतू कोई नोटिस अथवा सूचना देना सोसाईटी के लिये अनिवार्य नही होगा। यदि 60 दिन की अवधि में सदस्यता शुल्क जमा नहीं करवाया जाता है तो वह व्यक्ति डिफाल्टर हो जायेगा ओर उसकी सदस्यता स्वतः ही समाप्त समझी जावेगी। ऐसे सदस्य तीन वर्ष के भितर–भितर अपनी सदस्यता बहाल करने हेतु आवेदन कर सकते हैं। ऐसा करने हेतु उन्हें बकाया राशि व उस

पर 18 प्रतिशत वार्षिक ब्याज व 200/–रूपये रिन्युवल फीस अतिरिक्त रूप से जमा करवानी होगी एवं अपने स्वास्थ्य का चिकित्सकीय प्रमाण पत्र देना होगा। सदस्यता समाप्ति की अवधि में उत्पन्न हुई बिमारियों या इस समिति के नियमों व उप नियमों के तहत उत्पन्न लाभों के लिये किसी लाभ का वह किसी सूरत में हकदार नहीं होगा। ऐसा सदस्य समिति का सदस्य बनने के बाद अन्य कहीं रोजगार कर लिया है या जिसने संविधान की धारा 4 (5) के तहत अयोग्यता प्राप्त कर ली है उसकी सदस्यता भी स्वतः ही समाप्त समझी जावेगी।

THE BAR ASSOCIATION JAIPUR ADVOCATES WELFARE FUND SOCIETY

(The Bar Association Jaipur, Civil Court Building, Bani Park, Jaipur-302 016)

Receipt No. :

To,

Date :

The General Secretary (Ex officio),
The Bar Association Jaipur, Advocate Welfare Fund Society,
Jaipur

SUB : Application for admitting as member of fund.

Sir,

I have been enrolled as an advocate by the Bar Council of Rajasthan on .... dated with enrolment no. R/...................... . I have been admitted as member of the Bar Association, Jaipur on dated .... with member ship no. .... I desire to be admitted as member and beneficiary of the Bar Association Jaipur Advocates Welfare Fund Society and depositing Rs. 200/- as registration fee and Rs. 5100/2100/200/150/100 as special / life / annual fee fund. I have gone through the constitution and rules of the society and shall abide by the rules and direction issued by the society from time to time. Please enroll me as member of the above fund and oblige. I submit my particular as follows :-

1. **Name** : ____________________
2. **Father's Name** : ____________________
3. **Date of Birth** : ____________________
4. **Address, Phone & Mobile No.** : ____________________
   Parmanent : ____________________
   ____
   Present (local) : ____________________
5. **Place of sitting in court primises** : ____________________
6. **Date since practicing as advocate** : ____________________
7. **Particulars of nomination.**
   a) **Name and Age of the Nominee/s** : ____________________
   b) **Relationship** : ____________________
   c) **Address** : ____________________
   d) **Name of other legal hears of Ist class category as per succesion law**
   ____
   ____

(If there is more than one nominee, please specify the amount or share payable to each of them as to cover whole of amount payable.)

Date :

Place : **Signature with name**

DECLARATION

a) I hereby, declare that the above particulars are true to my personal knowledge.

b) I hereby undertake to abide with the provisions of constitution of society, directions etc. made there under by the committee.

c) I hereby undertake to pay annual subscription on or before 1st April every year and i am aware that my membership and benifits will automatically be cancelled on account of nonpayment of annual subscription.

d) That I am not suffering at the time of admission with any incruable disease.

Date :

Place : **Signature with name**

Presidents And General Secretary of

The Bar Association Jaipur

Since 1932 Till Date

Year	President	Gen. Secretary
1932	Sh. Ahsanullhak	Raj Buhari Lal
1933	Sh. Ahsanullhak	B. C. Soni
1934	Sh. C. L. Mishra	B. C. Soni
1935	Sh. C. L. Mishra	B. C. Soni
1936	Sh. C. L. Mishra	B. C. Soni
1937	Sh. O. L. Mishra	O. S. Tiwari
1938	Sh. C. L. Mishra	D. S. Tiwari
1939	Sh. C. L. Mishra	G. C. Kasliwal
1940	Sh. Baba H. C. Sharma	G. C. Kasliwal
1941	Sh. Baba H. C. Sharma	M. M. Sharma
1942	Sh. Baba H. C. Sharma	S. S. Bapna
1943	Sh. Baba H. C. Sharma	S. S. Bapna
1944	Sh. Baba H. C. Sharma	S. S. Bapna
1945	Sh. D. M. Bhandari	R. K. Vyas
1946	Sh. D. M. Bhandari	R. K. Vyas
1947	Sh. D. M. Bhandari	R. K. Vyas
1948	Sh. C. L. Agarwal	S.B.L. Saxena
1949	Sh. C. L. Agarwal	S.B.L. Saxena
1950	Sh. C. L. Agarwal	S.B.L. Saxena
1951	Sh. D. M Bhandari	P. O. Mathur
1952	Sh. O M Bhandari	R. C. Kasliwal
1953	Sh. S B L Saxena	D.P Gupta
1954	Sh. G. C Kasliwal	S. M. Sanghi
1955	Sh. C. B. Bhargava	C. L. Srimali
1956	Sh. R. K. Rastogi	C. L. Srimali
1957	Sh. C. L. Agarwal	R. C. Kasliwal
1958	Sh. C. L. Agarwal	R. C. Kasliwal

Year	President	Gen. Secretary
1959	Sh. S B L Saxena	P. D. Mathur
1960	Sh. S B L Saxena	C. M. Kasliwal
1961	Sh. Swami Ramesh	L. L. Sharma
1962	Sh. Swami Ramesh	P. D. Mathur
1963	Sh. Swami Ramesh	P. D. Mathur
1964	Sh. Swami Ramesh	P. D. Mathur
1965	Sh. R. C. Kasliwal	B. K. Pathak
1966	Sh. J. K. Mathur	C. M. Mathur
1967	Sh. Sirumal Vishandas	O. P. Garg
1968	Sh. C. N. Sharma	B. K. Pathak
1969	Sh. B. L. Luhadia	O. P. Gupta
1970	Sh. B. P. Agarwal	--
1971	Sh. P. D. Mathur	N. K. Joshi
1972	Sh. H. C. Dhandhia	R. C. Soni
1973	Sh. D. C. Swami	V. K. Bhargava
1974	Sh. D. C. Swami	R. K. Kala
1975	Sh. D. C. Swami	I. S. Israni
1976	Sh. S. C. Swami	P. C. Shah
1977	Sh. D. C. Swami	P. C. Shah
1978	Sh. M. B. Mathur	Ambikesh Sharma
1979	Sh. C. L. Shrimal	G. C. Sharma
1980	Sh. O. P. Sharma	R. Tiwari
1981	Sh. K. C. Soni	O. P. Tiwari
1982	Sh. N. K. Joshi	A. K. Luhadia
1983	Sh. I. S. Israni	Shailendra Joshi
1984	Sh. S. C. Srivastava	S. Kasliwal
1985	Sh. S. R. Surana	Giriraj Badhdar
1986	Sh. A. S. Sagar	Ashok Mehta
1986	Sh. D. C. Swami	Ashok Mehta
1987	Sh. R. K. Yadav	Virendra Godika
1988	Sh. R. K. Gupta	S. K. Chhajed

Year	President	Gen. Secretary
1989	Sh. V.B. Mathur	R.A. Khandelwal
1990	Sh. R.A. Khandelwal	J.R. Yadav
1991	Sh. Giriraj Badhdar	V.S. Punia
1992	Sh. M.C. Sharma	Y.S. Tanwar
1993	Sh. V.S. Ponia	S.K. Jain
1994	Sh. P.K. Sharma	S.R. Yadav
1995	Sh. Rajendra Tiwari	Nirmal Sharma
1996	Sh. k.N. Bhatt	Girish Parikh
1997	Sh. Y.S. Tanwar	Sushil Sharma
1998	Sh. Ashok Mehta	U.S. Khichar
1999-2000	Sh. S.R. Yadav	N.Mohan Sharma
2001	Sh. Sushil Sharma	Amarjeet S. Mastana
2002	Sh. Roshan Sethi	Prashant Chaturvedi
2003	Sh. Narendra Nath Tiwari	Pramod Shandilya
2004	Sh. Shiv Chand Sahu	Rajesh Maharshi
2005	Sh. S.C. Khandelwal	Sanjay Srivastav
2006	Sh. Virendra Godika	Kamal Kishor Sharma
2007	Sh. Prashant Chaturvedi	Subodh kumar Sharma
2008	Sh. Vipin Agarwal	Manoj Kumar Ajmera
2009	Sh. Naresh Kr. Sharma	Anoop Pareek

This is the last
page of this book.

If you want to download any
forms displayed in this book,
please go to Download Section
and download your
desired forms.

Thanks